उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-50/2022/एस-2-।/255724/दस-2022-25/2021

लखनऊ :: दिनॉक:: 30 दिसम्बर, 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' उच्च वेतनमान, वेतनबैण्ड-4, रू0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रू0 8900 (लेविल-13क) में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर, सम्यक विचारोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अतिकाल वेतनमान, वेतनबैण्ड-4,रू0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रू0 10,000/-(लेवल-14) में नियमित रूप से पदोन्नत करने एवं उनके वर्तमान पदों पर अंकित पद/स्थान पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती का स्थान
1	2
1	श्री पंकज सक्सेना, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2	श्री राम कृपाल बिन्द, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, झॉसी मण्डल, झॉसी।
3	श्री कृष्ण दत्त ढौडियाल, विशेष सचिव/वित्त नियंत्रक, विधान परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

2- उक्त पदोन्नति के आदेश मा0 न्यायालयों/मा0 अधिकरणों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/ निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होंगे।

3- उक्त नवपदोन्नत अधिकारी पदोन्नति के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे। इनकी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

4- उक्त आदेश दिनॉक 01.01.2023 से प्रभावी माना जायेगा।

प्रशान्त त्रिवेदी

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-51/2022/एस-2-।/255724(1)/दस-2022, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी।
4- विशेष सचिव, इरला, विधान परिषद उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी, झाँसी।
6- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
8- मुख्य कोषाधिकारी, झाँसी।
9- संबंधित अधिकारीगण।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अजय प्रताप सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।